भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1962

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

पंजाब में महिलाओं की संरक्षा और सशक्तीकरण

1962. डॉ. धर्मबीर गांधी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि को दर्शाने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आलोक में पंजाब में महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पंजाब में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ाने के लिए कानूनी और सामाजिक सहायता तंत्र सहित नई नीतियां या उपाय शुरू किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्भया निधि और राज्य की पहलों जैसी केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत पंजाब में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण कार्यक्रमों के लिए कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और महिलाओं के प्रति अपराध की जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य

रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

भारत का संविधान समानता के अधिकार की गारंटी देता है और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने तथा उनके समग्र सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक क्रियाकलाप का भी प्रावधान करता है। संवैधानिक प्रावधानों में निहित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), भारतीय साक्षरता अधिनियम (बीएसए), दहेज निषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 इत्यादि जैसे विभिन्न कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग आधारित भेदभाव तथा हिंसा के मुद्दे का समाधान करते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न सहित किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के घटकों सहित मिशन शक्ति के तहत निर्भया कोष से टोल फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड 181 पर चलने वाली महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), योजनाओं तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है। सरकार ने वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन की स्थापना के लिए पंजाब सरकार को योजना मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा, बालिकाओं की बचाव और जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार तथा उनकी समग्र विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), कठिन परिस्थितियों या अभाव का सामना करने वाली महिलाओं की सहायता के लिए शक्ति सदन घटक इत्यादि मिशन शक्ति के तहत कार्यान्वित किए जाते हैं।

गृह मंत्रालय ने न्याय प्रदायगी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए युग की तकनीक का उपयोग करके अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) की स्थापना की है। इसके अलावा, बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने, यौन अपराधियों पर अलर्ट प्राप्त करने इत्यादि के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) द्वारा उपयोग के लिए "यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस" (एनडीएसओ) भी शुरू किया गया है। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 (अब बीएनएसएस) के अनुसार यौन अपराधों के मामले में दो महीने में पुलिस जांच पूरी करने की निगरानी और पता लगाने के लिए यौन अपराधों के लिए एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण, जांच ट्रैकिंग प्रणाली (आईटीएसएसओ) शुरू की गई है। अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) के तहत सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लोगों के लाभ के लिए नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (एनएएफआईएस) का उद्देश्य फिंगरप्रिंट को कैप्चर करना,गुणवत्ता की जांच, मिलान और

पहचान की प्रक्रिया में तेजी लाना तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान योग्य फिंगरप्रिंट के आंकड़ों का रखरखाव करना।

इसके अलावा, निर्भया कोष के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं जिनमें आपात स्थिति के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस); अश्लील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए एक साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल; 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम; राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किटों का वितरण; सीएफएसएल, चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना; फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता; देश के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण; पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढ़ीकरण इत्यादि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) भी संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए शिकायतों का प्रबंधन करता है। एनसीडब्ल्यू सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों का भी संज्ञान लेता है। एनसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त शिकायतों पर पीड़ितों, पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

निर्भया कोष के तहत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं। बीपीआर एंड डी ने चार महत्वपूर्ण घटकों अर्थात बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके महिला हेल्प डेस्क के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 'पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क' हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की रोकथाम और जांच के उद्देश्य से 'महिला सुरक्षा और संरक्षा- पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका' भी तैयार की गई है। इस पुस्तिका में यौन उत्पीड़न के अपराध के विशेष संदर्भ में जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ बातचीत के दौरान पुलिस के उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल पर जोर दिया गया है। बीपीआर एंड डी द्वारा संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का जेंडर संवेदीकरण इत्यादि पर वेबिनार भी आयोजित किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) के माध्यम से देशभर में वन स्टॉप सेंटरों (ओएससी) के कर्मचारियों को हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देखरेख की आवश्यकताओं से निपटने के लिए 'स्त्री मनोरक्षा' नामक परियोजना के अंतर्गत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया था।

घ) पंजाब में निर्भया कोष के माध्यम से वित्त पोषित परियोजनाएं/पहलें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	**परियोजनाओं के नाम**
i.	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)
ii.	राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक से संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ करना
iii.	पुलिस स्टेशनों (डब्ल्यूएचडी) में महिला सहायता डेस्क
iv.	यौन उत्पीड़न मामलों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह में जांच अधिकारियों (आईओ)/अभियोजन अधिकारियों (पीओ)/चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) का प्रशिक्षण और फोरेंसिक किट की खरीद
v.	983 ए 1, ए, बी और सी श्रेणी के स्टेशनों (आईईआरएमएस) पर एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली
vi.	दक्षिणी रेलवे सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैब की खरीद
vii.	बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत लंबित मामलों का निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय
viii.	785वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) क्रियाशील हैं
ix.	महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) का सार्वभौमिकरण
x.	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)
xi.	केंद्रीय पीड़ित मुआवज़ा कोष
xii.	मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयां (एएचटीयूएस)
xiii.	पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धा रा 4 और 6 के तहत पीड़ितों की देखरेख और सहायता के लिए योजना

केंद्र सरकार महिलाओं और बालिकाओं का सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), स्वच्छ भारत

मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, पीएम स्वनिधि इत्यादि जैसे विभिन्न योजनाओं/नीतियों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है, जिसके तहत पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और व्यक्तियों को संबंधित योजना मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

*****